संख्या:53/2015/211/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 19 फरवरी,2015

विषय : वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या: 1747/35-4-2013 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के द्वारा **एन.एच.-234 के कन्नौज रेलवे क्रासिंग से तिर्वा तक (चैनेज 158.400 से 142.000 तक) मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य** की रू. 6504.95 लाख की लागात पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2602.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। मुख्य अभियंता, (मु0-1)लो0नि0वि0 के पत्र 9164 बी.जी./7 बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/ 2014-15 दिनांक 06 फरवरी, 2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होना इंगित किया गया है । एतदद्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में रू. 2602.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ दो लाख मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग - द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष " 8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97 -10(9) / 95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डि0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।
3- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार कार्य हेतु 80 प्रतिशत सीमा तक धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जायेगा।
4- स्वीक़त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमामिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या- 40 -आयोजनागत-लेखाशीर्षक - 5054-सड.कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य - 03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24 -वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/ दस- 2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या:53/2015/211(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा , प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा;मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर ।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज ।
8- मुख्य विकास अधिकारी कन्नौज ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, कन्नौज ।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज ।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in